रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233904
CG-DL-E-04032022-233904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवाँ संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 2)

सं.- एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-I-HQ-भाग(I) (2022 का संख्या 2).—आधार (वित्तीय एवं अन्य साहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 14) की धारा 54 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और उपखंड (ञ)(।)और(x) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 02) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्या 2) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 28(1)(ञ) का संशोधन:-

1. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2) समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 28(1)(ञ) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

'(ञ)(i) जहाँ आधार नंबर धारक ने 5 या 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसके आधार में प्रथम अद्यतन के समय आवश्यक रूप से बायोमेट्रिक सूचना अद्यतित करनी अनिवार्य है ।

(ii) जहाँ आधार नंबर धारक जिसने 5 वर्ष या 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के दो वर्ष की अवधि तक वह अपनी बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन करने में असफल रहता है तो उसका आधार असक्रिय कर दिया जाएगा। आधार नंबर धारक को क्रमश: 7 वर्ष या 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक नि:शुल्क बायोमेट्रिक सूचना अद्यतन करने की सुविधा प्राप्त होगी। तत्पश्चात् आधार नंबर धारक अपने आधार नंबर को अपनी बायोमेट्रिक्स सूचना अद्यतन कराकर सक्रिय कर सकता है। तथापि आधार नंबर धारक को बायोमेट्रिक सूचना अद्यतन कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(iii) आधार नंबर धारक द्वारा बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन नहीं कराने पर भी आधार नंबर को हटाया नहीं जाएगा और आधार नंबर असक्रिय अवस्था में रहेगा।'

3. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 29(1) में संशोधन:-

आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2) समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 29(1) के लिए उक्त विनियम 29(1) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाए, नामत:-

'बशर्ते कि विनियम 28(।)(ञ) के अनुसार बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए जाने के कारण असक्रिय करने पर ऐसी कोई भी जांच अपेक्षित नहीं होगी।'

4. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 30(1) में संशोधन:-

आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2) समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 30(1) के लिए उक्त विनियम 30(1) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाए, नामत:-

'बशर्ते कि बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए जाने के कारण असक्रिय करने पर उपर्युक्त की आवयकता नहीं होगी।'

'आगे बशर्ते कि बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए जाने पर असक्रिय करने संबंधी ब्योरा यूआईडीएआई पोर्टल पर उप्लब्ध होगा जहां से आधार नंबर धारक अपनी सूचना को सत्यपित कर सकता/सकती है।

डा. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./673/2021-22]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।।, खंड 4 में दिनांक 14 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 का 02) के माध्यम से जारी किए गए। इन विनियमों को तत्पश्चात संशोधित कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।।, खंड 4 में दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 01); दिनांक 07 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 02); दिनांक 11 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 03); दिनांक 31 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का 05); दिनांक 12 जनवरी, 2018 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13) (2018 का 01); दिनांक 31 जुलाई, 2018 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13) (2018 का 02); दिनांक 09 सितंबर, 2019 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13)खंड-।। (2019 का 03); एवं दिनांक 02 जुलाई, 2020 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13)खंड-।। (2020 का 03) द्वारा प्रकाशित किए गए।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (NINTH AMENDMENT)

REGULATIONS, 2022

(No. 2 of 2022)

No. HQ-16041/4/2021-EU-I-HQ-Part(I) (No. 2 of 2022) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1), and sub-clauses (e),(l) and (x) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019), the Unique Identification Authority of India, hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No.2 of 2016), namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—— (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Ninth Amendment) Regulations, 2022 (No. 2 of 2022).

(2) These regulations shall come into force with effect from 1st January, 2023.

2. Amendment of Regulation 28(1) (e) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time :-

(1) For Regulation 28(1) (e) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, the following regulation shall be substituted, namely :-

"(e) (i) Where an Aadhaar number holder has attained the age of 5 or 15 years, the first update in his/her Aadhaar has to be necessarily accompanied by a biometric information update.

(ii) Where an Aadhaar number holder who has attained the age of 5 or 15 years fails to update his/her biometric information within 2 years of attaining such age, his/her Aadhaar number shall be deactivated. The facility of biometric information update shall be available free of cost to the Aadhaar number holder till attaining the age of 7 or 17 years, respectively. Thereafter, the Aadhaar number holder can activate his/her Aadhaar number by updating his/her biometric information. However, the applicable charges for biometric information update as fixed by the Authority from time to time shall be borne by the Aadhaar number holder.

(iii) The Aadhaar number shall not be omitted even if the Aadhaar number holder does not update biometric information, and the Aadhaar number shall remain in deactivated state."

3. Amendment of Regulation 29 (1) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time :-

(1) For Regulation 29 (1) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, the following shall be inserted after said Regulation 29 (1), namely:–

"Provided that no such inquiry shall be required in case of deactivation of the Aadhaar number of a child for the want of mandatory biometric information update as per the Regulation 28(1)(e)".

4. Amendment of Regulation 30 (1) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time:-

For Regulation 30 (1) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016) as amended from time to time, the following shall be inserted after said Regulation 30 (1), namely:—

"Provided that the same shall not be required in case of deactivation of Aadhaar number of a child for the want of mandatory biometric information update.

Provided further that the details of deactivation of Aadhaar number of a child for want of mandatory biometric update shall be available on the UIDAI portal from which the Aadhaar number holder can verify his/her details."

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./673/2021-22]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated 14th September, 2016. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notifications No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017) dated 15th February, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017) dated 7th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017) dated 11th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017) dated 31st July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No.1 of 2018) dated 12th January, 2018; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 2 of 2018) dated 31st July, 2018; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13)/Vol.II (No. 3 of 2019) dated 09th September, 2019 and No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13)/Vol.II (No. 3 of 2020) dated 2nd July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.04 15:34:42 +05'30'